रखकर 22 व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये गये थे जिनमें से एक व्यक्ति दण्डित किया गया है और शेष पर मुकदमा चल रहा है।

(ग) 1974 में केवल एक मामले को छोड़कर जिसमें चार रेल कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा दल के एक रक्षक को गिरफ्तार किया गया था, ऐसे मामलों में किसी रेल कर्मचारी या रेलवे सुरक्षा दल के किसी कर्मचारी का हाथ नहीं पाया गया। इस सम्बन्ध में की गयी कुछ महत्वपूर्ण कार्रवाइयां निम्नांकित हैं:—

(1) मण्डल स्तर पर हर महीने और मुख्यालय स्तर पर हर दस दिन बाद चोरी और उठाईगीरी की घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है और प्रभावित क्षेत्रों तथा स्टेशनों में सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्ध अधिक कड़े किये जाते हैं।

(2) रेलों पर होने वाले अपराधों और तत्सम्बन्धी मामलों पर विचार करने के लिए राज्य स्तर और प्रारम्भिक स्तर की समितियों की नियमित बैठकें होती हैं।

(3) राजकीय रेलवे पुलिस और जिला पुलिस के साथ घनिष्ट समन्वय और प्रभावकारी सम्पर्क रखा जाता है।

(4) अपराध आसूचना शाखा के कर्मचारियों द्वारा अपराध आसूचना का संग्रह और सादा वेशधारी मण्डल कर्मचारियों का प्रभावकारी उपयोग।

(5) राजकीय रेलवे पुलिस और जिला पुलिस के माध्यम से कुख्यात अपराधियों पर कड़ी निगाह रखना।

(6) सशस्त्र जवानों द्वारा पैदल गश्त और चोरी के शिकार यार्डों में सशस्त्र रेलवे सुरक्षा दल के पहरेदारों की तैनाती।

(7) चोरी का माल लेने वाले व्यक्तियों और आदतन जुर्म करने वालों को राज्य के पुलिस अधिकारियों के सहयोग से आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम और अन्य अधिनियमों के अधीन पकड़ने की कार्रवाई की जाती है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का ग्वालियर, इन्दौर और जबलपुर बैंचों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

3250. श्री हुकम चन्द कछवाय: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर, इन्दौर और जबलपुर बैंचों में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) प्रत्येक बैंच में उक्त पद कब से रिक्त पड़े हैं, और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० वी० ए० सैद मुहम्मद): (क) से (ग). मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की मंजूर की गई संख्या इस प्रकार है—20 स्थायी न्यायाधीश और तीन अतिरिक्त न्यायाधीश। ये पद सम्पूर्ण न्यायालय के लिये हैं और बैंचों के लिए न्यायाधीशों की कोई पृथक् संख्या नियत नहीं है। इस बात पर विचार करना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का काम है कि न्यायाधीशों की मंजूर की गई कुल संख्या में से बैंचों में कितने न्यायाधीश नियुक्त किये जायं। इस समय, स्थायी न्यायाधीशों के दो स्थान और अतिरिक्त न्यायाधीशों के दो स्थान रिक्त हैं। इन रिक्त स्थानों को राज्य के प्राधिकारियों और भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके यथाशीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।